

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2286

दिनांक 14/10/2022

प्रार्थीगण :-

1.चेलाराम पुत्र सवाईराम
2.लूनी पत्नि चेलाराम
जाति रबारी
निवासी निम्बली
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. देरामाराम पुत्र डूंगराराम 2.बालकाराम पुत्र तुलसाराम 3.शंकराराम
पुत्र मंगलाराम 4.भारथाराम पुत्र मानाराम, जाति रबारी 5.खरथाराम
6.हरचन्द्रराम 7.धनाराम 8.भेराराम पि.कोसलाराम 9.जालूराम पुत्र
चेनाराम, जाति मेगवाल, निवासी गोलियार 10.गेनाराम 11.बगताराम
पि.कोशलाराम 12.केशाराम पुत्र कलाराम 13.सामाराम 14.नानगाराम
15.पूनमाराम पि.देदाराम 16.नगाराम पुत्र बांकाराम 17.अचलाराम पुत्र
भेराराम, जाति जाट, निवासी सारणों का तला, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 89/2022

दिनांक : 12.10.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र सणाऊ के मौजा निम्बली के खेत खसरा सं. 222/131 रकबा 06.7501 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 2287 to 2290

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण चेलाराम
3. विप्रार्थीगण देरामाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 14/10/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन